न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 08/2019 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– राजाराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी बंगलानगर सब्जी मण्डी के पीछे, पुलिस थाना नया शहर, बीकानेर ।

———— अपीलांट

—— बनाम ——

राजस्थान स्टेट

———— रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित भारत कुमार — अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थित चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 21.8.19**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 14.3.19 व संशोधित निर्णय दिनांक 15.4.19 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र बीकानेर से एक माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से दिनांक 22.6.17 को अति.जिला मजिस्ट्रेट(नगर) बीकानेर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी राजाराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी बंगलानगर सब्जी मण्डी के पीछे, पुलिस थाना नया शहर, बीकानेर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल जुआ सट्टा करने का आदी है, जिसकी समाज में आम शौहतर खराब है । यह शख्स अकेला व गिरोह बनाकर हुआ सट्टा की कार्यवाही को अन्जाम देता तथा लोगों को व बच्चों को डरा धमका कर जुआ सट्टा जैसे अपराध कार्य करने को मजबूर करता है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द जुआ अधिनियम के अन्तर्गत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए तथा दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खाईवाली करने से युवा पीढी पर बुरा प्रभाव पड़ता है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर द्वारा दिनांक 3.7.17 को अपीलान्ट के निमित जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 2.8.17 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण में अपीलान्ट के निर्धारित पेशी पर उपस्थित नहीं आने पर पुनः जमानती वारन्ट से तलब किया गया । अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 18.9.17 को उपस्थित होने के पश्चात जवाब हेतु अवसर चाहा गया तथा दिनांक 27.12.17 को जवाब नोटिश पेश किया गया । दिनांक 21.1.2019 को अभियोजन पक्ष के गवाह की साक्ष्य होने के पश्चात् न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) बीकानेर द्वारा दिनांक 14.3.19 एवं संशोधित निर्णय 15.4.19 पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र बीकानेर से 1 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना जैतसर जिला श्रीगंगानगर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय जैतसर में रहने के आदेश दिये गये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 14.3.19 व 15.4.19 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट वरवक्त बहस अनुपस्थित रहने से अपील मीमो का अवलोकन कर प्रकरण में सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अपील मीमो अनुसार अपीलान्ट का कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत थानाधिकारी, पुलिस थाना, नयाशहर, बीकानेर द्वारा 2 मुकदमे दर्ज किये गये थे, जिनमें अपीलान्ट द्वारा लोक अदालत की भावना से फैसला करवाया था, जिनमें न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है । इस आधार पर अपीलान्ट को आदतन अपराधी घोषित किया गया है, जो उचित नहीं है । अपीलान्ट मजदूरी पेशा व्यक्ति है वर्ष 2015 के पश्चात अपीलान्ट के विरुध्द कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 2 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालाय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालाय द्वारा दोनों प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा तथा अभियोजन पक्ष के गवाह के अनुसार गैर सायल आवारा किस्म का व्यक्ति है तथा जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन तथा लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई गवाह पेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नहीं किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 22.6.17 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 मुकदमे दर्ज होकर दोनों मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है:

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	145/24.4.13	13 RPGO	27.3.2015	सजा 100/– जुर्माना
2	54/9.2.2015	13 RPGO	18.4. 2015	सजा 100/– जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । प्रकरण में अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत 2 मुकदमे दर्ज हुए एवम् दोनों मुकदमों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v)अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में प्रस्तुत इस्तगासा दिनाक 22.6.17 एवम् अभियोजन पक्ष के गवाह अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है । इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन में भय व्याप्त है तथा भय के कारण लोग इसके विरुध्द पुलिस में शिकायत करने या गवाही देने से डरते हैं। प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । प्रस्तुत इस्तगासा एवं अभियोजन पक्ष के गवाह के अनुसार अपीलार्थी की आम शोहरत अच्छी नहीं है, जुआ सट्टे का आदि है । गैर सायल द्वारा सट्टे की खाईवाली करने से युवा पीढी पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अपीलार्थी से मोहल्ले के आम लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट के विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) बीकानेर द्वारा अपीलान्ट को 1 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र बीकानेर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला श्रीगंगानगर में थानाधिकारी, पुलिस थाना जैतसर को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं । हम अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.19 एवं 15.4.19, जिसके द्वारा अपीलान्ट को जिला बीकानेर से एक माह के लिए जिला बदर किया गया, में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.3.19 एवं 15.4.19 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

11. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 21.8.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर